



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 902/अकादमी/संबद्धता/ प्रबंधसंकाय/2022 (स्पीड-पोस्ट)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26.05.2022

DIRECTOR

(कालेज कोड -937)

BSSS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES KH-NO
309/290/1/2,325/290,326/290, ASHA NIKETAN CAMPUS
ARERA COLONY, SHSHPURA BHOPAL462016

विषय:- अस्थाई संबद्धता/निरंतरता सत्र 2022-23 प्रदान करने विषयक।

- सन्दर्भ:- (1) AICTE, नई दिल्ली का पत्र क्रं: CENTRAL/ 1-10981474053/2022/ EOA Date03/07/2022 DTE NO 1111 Date18/08/22
(2) AICTE, नई दिल्ली का पत्र क्रं: CENTRAL/ 1-10981474053/2022/ EOA Date03/07/2022 DTE NO 1111 Date18/08/22
(3) AICTE, नई दिल्ली का पत्र क्रं: CENTRAL/ 1-10981474053/2022/ EOA Date03/07/2022 DTE NO 1111 Date18/08/22

महोदय,

विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 11.5.2022 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रतयाशा में आप के महाविद्यालय को नियमानुसार पाठ्यक्रमों/ विषयों को सत्र 2022-2023 हेतु अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

SO	COURSE	Brnch	Status	Seats
01	MBA -FT I, Ren.	FULLTIME	TEMPORARY	180
02	MBA -FT I, -FINANCE Ren.	FULLTIME	TEMPORARY	60
03	MBA -FT I, MARKETING Ren.	FULLTIME	TEMPORARY	60

शर्त:-

- आगामी सत्र 2023-24 की प्रावधिक अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 एवं ए.आई.सी.टी.ई. के नियमों के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 30.12.2022 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा करता है तो संचालित पाठ्यक्रमों के आगामी सत्र की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

J.P. Singh

उप-कुलसचिव

J.P. Singh

पृ0क्रमांक/ 903/अकादमी/संबद्धता/2022

प्रतिलिपि:-

- संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भवन भोपाल।
- सचिव, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26.05.2022



B. Patne
सहा-कुलसचिव, अकादमी